

॥ २॥

पत्रावली को हटा दिया जाये/पत्रावली वकील ३५।
 पत्रावली वकील का कर्ना है कि उक्त आराजी
 पत्रावली की मारदार खारेजी की आराजीयम
 है। जिले पर पत्रावली में पर कायम होकर
 कर्ना कर रहे हैं। उक्त आराजी के चिपटेम
 लार्डजिनिक निर्माण विभाग का रकवा है।
 अतः पत्रावली-पत्रावली बाय 123 LR Act
 के तहत लीका किया जाकर आराजी
 खसरा नम्बर 1933, 4415/1932 किया
 2 खवा 0.12 है। प्रमाण्य करवा
 जाकर मांके पर मुझी गठरी करवाये
 जाने के आदेश पारित करें।

इसमें बल को पुना, पत्रावली
 पर उपलब्ध रिपोर्ट का आवली उन किया
 जो पाया कि पत्रावली में- पत्रावली का
 खसरा नम्बर 1933/0-02 व 4415/1932
 खवा 0.10 वाले ग्राम कुल्वा बंदर
 प्रथम पर पत्रावली मारदार खारेजा
 कायम है। जिले के चिपटेम लार्डजिनिक
 निर्माण विभाग का रकवा है। अतः

पत्रावली का पत्रावली-पत्रावली लीका किया जाकर
 पत्रावली के खसरा नम्बर के निकलम आराजी
 के खारेजा कर्ना करों को बर्णित करके
 हुए नियमानुसार प्रमाण्य करवाये हुए
 तदनुसार नदर के मुझी गठरी करवाये
 जाने बाबत आदेश किया जाये।
 पत्रावली प्रथम अथवा अन्य
 के कम की जाकर साक्ष्य प्रमाण्य हो